न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 48/25
सीसीएमएस : 2025/99

1. लेखराम गोदारा पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 9, रतनीसर, तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान। –:प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

तारीख रजू 02.04.2025

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री नरेन्द्र भादू अधिवक्ता प्रार्थी अधि.।
2. राजपेरोकार अप्रार्थी।

–: निर्णय :– दिनांक : 27.02.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी के पिता स्व० धन्नाराम पुत्र कुम्भा जाति जाट के नाम से वाके चक ठाकरी बी तहसील रायसिंहनगर में खाता संख्या 40/33 मु0नं0 38 पं0नं0 214/300 में किला नं. 1 ता 25 सालम–सालम कुल 6.325 है0 बारानी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मुझ प्रार्थी के पिता धन्नाराम का स्वर्गवास दिनांक 28.03.2016 को हो चुका है। मेरे पिता व दादा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहबन से धन्ना पुत्र कुम्भा दर्ज है, जबकि मेरे पिता के अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र में धन्नाराम पुत्र कुम्भाराम दर्ज है, राजस्व रिकॉर्ड में मेरे पिता धन्नाराम पुत्र कुम्भाराम के नाम से भूमि दर्ज ना होकर सहबन से धन्ना पुत्र कुम्भा के नाम से दर्ज हो गयी, जिससे वादी भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है, वादी द्वारा स्व० धन्नाराम के भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाना है, जिससे पूर्व वादी अपने पिता व दादा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में धन्ना पुत्र कुम्भा से दुरूस्त करवाकर धन्नाराम पुत्र कुम्भाराम दर्ज करवाना चाहता है। अब प्रार्थी को विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने में काफी परेशानी हो रही है, तथा उपरोक्त भूमि से संबंधित सरकारी सहायता व योजना का लाभ लेने में अड़चन पैदा हो रही है। चक ठाकरी बी के मु0नं0 38 पं०नं० 214/300 की जमाबन्दी में उपरोक्त वर्णित त्रुटि प्रार्थी के संज्ञान में आने के पश्चात् प्रार्थी ने हल्का पटवारी एवं संबंधित विभाग से सम्पर्क कर जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्ती के सन्दर्भ में अनुतोष हेतु निवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी एवं प्रतिवादी द्वारा इस संदर्भ में अक्षमता व्यक्त की गई, जो कि बिनाये दावा एवं बिनाये मुखास्मत है, प्रार्थी के पिता का नाम प्रारम्भ से ही धन्नाराम पुत्र कुम्भाराम है, इसी अनुरूप प्रार्थी के पिता के समस्त दस्तावेजो में उक्त नाम अंकित है इस कारण प्रार्थी के श्रीमान् न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार में है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में निम्न प्रकार से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके चक ठाकरी बी तहसील रायसिंहनगर में खाता संख्या 40/33 मु0नं0 38 पं0नं0 214/300 में किला नं. 1 ता 25 सालम–सालम कुल 6.325 है0 बारानी भूमि में मुझ प्रार्थी के पिता व दादा का नाम धन्ना पुत्र कुम्भा से धन्नाराम पुत्र कुम्भाराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने के आदेश दिये जावे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वह प्रार्थी को दिलाया जावे ।

2. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्[illegible]जाकर सम्बंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी [illegible]कार [illegible] तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2026/783 दिनांक [illegible]2.2026 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट जमाबन्दी चक [illegible] बी के मु०नं० 38 प०नं० 214/300 में रकबा 6.325 है० बारानी भूमि धन्ना पुत्र [illegible] जाति जाट सा० रतनीसर तहसील लूणकरणसर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रार्थी का सम्मानजनक नाम धन्नाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट सा० रतनीसर तहसील लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में नाम धन्नाराम पुत्र कुंभाराम दर्ज है। धन्ना व धन्नाराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में धन्नाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट किया जाना उचित है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड की छायाप्रति, पहचान पत्र की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थी के दादा व पिता के नाम राजस्व वाके चक ठाकरी बी के मु०न० 38 प०न0 214/300 में रकबा 6.325 है० बारानी भूमि धन्ना पुत्र कुंभा जाति जाट सा० रतनीसर तहसील लूणकरणसर खातेदार दर्ज रिकार्ड हो गया है उस स्थान पर धन्नाराम पुत्र कुंभाराम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर एवं सम्बन्धी दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 136 राजस्व भू अधिनियम 1956** भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर **वाके चक ठाकरी बी के मु०न० 38 प०न0 214/300 में रकबा 6.325 है० बारानी भूमि धन्ना पुत्र कुंभा जाति जाट सा० रतनीसर तहसील लूणकरणसर के स्थान पर प्रार्थी पिता—दादा का नाम "धन्नाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट सा० रतनीसर तहसील लूणकरणसर " की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है।** निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner